न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
154/2023

दायर दिनांक
15.05.2023

निर्णय दिनांक
26.09.2023

उनवान

1. श्री कन्हैयालाल पिता सोहनलाल जीनगर, निवासी म.नं. 43–एन–64/1, सांवलिया सदन, महावीर मार्ग, शास्त्रीनगर भीलवाडा। –प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रबन्धक नि0 ए–8 यूआईटी के पीछे सुभाषनगर भीलवाडा।
2. श्रीमति सुनिता देवी पत्नी अनिल टेकरीवाल निवासी सी–25 शास्त्रीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति रीतु पत्नी रमेश अग्रवाल निवासी कमला इनक्लेव चितौड रोड भीलवाडा।
4. नारायण पिता भैरूलाल आचार्य निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी प्रकाश देवानी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक्ष क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 3382 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 10630/2984 रकबा 0.0108 है0, आ0नं0 10720/10657 रकबा 0.0897 है0 एवं आ0नं0 2984/1 रकबा 0.0247 हैक्टेयर किता 03 रकबा 0.1252 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह सीपित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण आदिनांक को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मननफ किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक्ष क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 3382 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 10630/2984 रकबा 0.0108 है0, आ0नं0 10720/10657 रकबा 0.0897 है0 एवं आ0नं0 2984/1 रकबा 0.0247 हैक्टेयर किता 03 रकबा 0.1252 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में मिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा